

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) डूंगरपुर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – कुलराज मीणा, RAS

प्रकरण संख्या : 24/2024

दायर दिनांक: 25.01.2024

GCMS NO. 2024/17

निर्णय दिनांक: 01.03.2024

अभियुक्त :-

श्री अजय मोयल
राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
डूंगरपुर (राज)

बनाम

1 श्री भैरवसिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह (विक्रेता एवं
मालिक) मैसर्स नीलम दुध डेयरी पुलिस चौकी
के पास साबला जिला डूंगरपुर

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम
2006, नियम 2011
निर्णय

दिनांक 01.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री अजय मोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर (राज.) के द्वारा यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 15.03.2023 को 04:30 पी.एम. पर राजेन्द्र शर्मा बाहैसियत तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स नीलम दुध डेयरी पुलिस चौकी के पास साबला जिला डूंगरपुर पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री भैरवसिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह (विक्रेता एवं मालिक) उपस्थित थे। श्री भैरवसिंह ने बताया कि वह विक्रेता एवं मालिक है। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर 70-80 किलो ग्राम मिक्स दुध आम जनता को विक्रय हेतु रखे पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए आम जनता को बिक्री हेतु रखे 70-80 किलो ग्राम मिक्स दुध में से 02 कि.ग्रा. मिक्स दुध वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 160/- एक सौ साठ रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमूना जाँच हेतु खरीद शुदा 02 कि.ग्रा. मिक्स दुध को 500-500 एम.एल. के चार प्लास्टिक बोतलों में डाला तथा प्रत्येक बोतल में 40-40 बूंदे फार्मेलिन की डालकर नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना Z-1182 भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, डूंगरपुर एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बोंसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, डूंगरपुर के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/3503 दिनांक 18.04.2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक PHLab./Banswara/Act/2023/346 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया मिक्स दुध का नमुना Substandard under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and violate Food Safety & Standards(Packaging and labelling) Regulations 2011, पाया गया। विक्रेता द्वारा उक्त Substandard मिक्स दुध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 01.03.2024 को अभियुक्त ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, डूंगरपुर के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/3503 दिनांक 18.04.2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक PHLab./Banswara/Act/2023/346 दिनांक 28.03.2023के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया मिक्स दुध का नमुना Substandard under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and violate Food Safety & Standards(Packaging and labelling) Regulations 2011, पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत Standards food मिक्स दुध को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(iii) का उल्लंघन होना पाया जाने से उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर श्री

भेरवसिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स नीलम दुध डेयरी पुलिस चौकी के पास साबला जिला डूंगरपुर को रूपये 10,000/- (अक्षरे रु दस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। यह भी आदेशित किया जाता है कि भविष्य में ऐसे खाद्य पदार्थों का विक्रय/निर्माण नहीं करें। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के विन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर अभियुक्त को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(कुलराज मीणा)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला कलक्टर)
डूंगरपुर